राजस्थान सरकार
प्रशासनिक प्रगति प्रतिवेदन

2023-24

अभियोजन निदेशालय,

प्रशासनिक विभाग गृह, (ग्रुप–10) विभाग

राजस्थान, जयपुर

विषय–सूची

क्र.सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	भूमिका	1
2.	अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति	2–3
3.	अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढॉचा	4
4.	विभागीय प्रमुख कार्य	5
5.	आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलना	6–8
6.	सार–संक्षेप (Excutive Summary)	9–11

1 <u>भूमिका</u> :— आपराधिक न्याय प्रशासन के तीन महत्वपूर्ण अंग है। प्रथम पुलिस, जो आपराधिक घटना के घटित होने के पश्चात् प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान के उपरान्त नतीजा न्यायालय में पेश करती है । द्वितीय न्याय पालिका, जो विचारण करती है। तृतीय पक्ष अभियोजन है, जो पुलिस एवं न्याय पालिका के मध्य की भूमिका निभाता है एवं अभियुक्तगण को दण्डित करवाने एवं न्याय व्यवस्था में समुचित सहयोग प्रदान करता है। इस प्रकार आपराधिक न्याय प्रशासन का अभियोजन एक महत्वपूर्ण अंग है।

नवीन ''दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 एक अप्रेल 1974 से प्रभावी हुई। दण्ड प्रकिया संहिता में अभियोजन के महत्व को देखते हुए अभियोजन विभाग को पुलिस विभाग से अलग किया गया। दण्ड प्रकिया संहिता 1973 के प्रावधानों के अनुरुप राज्य में वर्ष 1974 में अभियोजन निदेशालय का गठन किया गया। अभियोजन निदेशालय के प्रमुख, निदेशक अभियोजन को बनाया गया। तत्पश्चात् उक्त पद को क्रमोन्नत कर शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी पदेन निदेशक अभियोजन का पद किया गया ।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में वर्ष 2005 में एक नवीन धारा 25ए जोड़ी गयी, जिसके फलस्वरूप राज्य में अभियोजन निदेशालय का पुर्नगठन किया गया है। संहिता की धारा 25ए के प्रावधानों के अनुरूप शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी पदेन निदेशक अभियोजन के पद को परिवर्तित कर राज्य में निदेशक अभियोजन का पद स्वतंत्र रूप से सृजित किया गया एवं अभियोजन निदेशालय के प्रशासनिक विभाग गृह (ग्रुप—10) विभाग में शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी का पद सचिवालय के स्तर पर सृजित किया गया।

प्रशासनिक ढांचा मजबूत किये जाने हेतु अभियोजन निदेशालय में दो पद अतिरिक्त निदेशक अभियोजन के सृजित किये गये है, जिसमे से एक पद न्यायिक सेवा का एवं एक पद राजस्थान अभियोजन सेवा से भरे जाने हेतु निर्धारित किया गया है।

2. अभियोजन विभाग का संगठनात्मक ढॉचा एवं पदीय स्थिति :—

क.सं.	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	विशेष विवरण
1.	निदेशक अभियोजन	01	00	01	शासन सचिव, गृह (विधि) एवं संयुक्त विधि परामर्शी के पास अतिरिक्त प्रभार
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्यायिक सेवा)	01	01	00	—
3.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभियोजन सेवा)	02	00	02	1 पद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो । 1 पद, अभियोजन निदेशालय।
4.	संयुक्त निदेशक अभियोजन	13	00	13	01 पद, संयुक्त निदेशक अभियोनज (सतर्कता), अभियोजन निदेशालय। 08 पद, संभाग स्तर पर। 02 पद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो। 02 पद, उच्च न्यायालय, जयपुर एवं जोधपुर।
5.	उप निदेशक अभियोजन/ लोक अभियोजक	39	15	24	01 पद, अभियोजन निदेशालय मुख्यालय। 01 पद, लोक अभियोजक श्रीगंगानगर । 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध)। 36 पद, जिला मुख्याालय पर।
6.	सहायक निदेशक अभियोजन /विशिष्ठ लोक /अपर लोक अभियोजक	109	91	18	15 पद, अपर लोक अभियोजक (ADJ COURT)। 01 पद, बम ब्लास्ट न्यायालय जयपुर (DJ COURT)। 17 पद, विशिष्ठि लोक अभियोजक (ADJ COURT)। 18 पद, न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (ADJ COURT)। 07 पद, पीसीपीएनडीटी (ACJM COURT)*। 06 पद, रेलवे (ACJM COURT)*। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (ATS & SOG)। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (अपराध)। 02 पद, पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र जोधपुर। 02 पद, राजस्थान पुलिस अकादमी। 01 पद, रेरा न्यायालय, जयपुर। 36 पद, जिला मुख्यालय पर(पुलिस अधिक्षक एवं एसीबी को अनुसंधान में विधिक राय हेतु)। 01 पद, अभियोजन निदेशालय। 01 पद, निदेशालय चिकित्सा विभाग, (PCPNDT Cell)।
7.	अभियोजन अधिकारी	301	260	41	36 पद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट 262 पद, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट। 02 पद, जयपुर विकास प्राधिकरण (ACJM COURT)। 01 पद, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध)।
8.	सहायक अभियोजन अधिकारी	454	263	191	न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयो मे अभियोजन पैरवी हेतु।
नोटः— *** अभियोजन सेवा के कैडर के सम्बंध में निर्णय लंम्बित है।**					

9.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम	02	02	00	—
10.	निजि सचिव	02	02	00	
11.	अतिरिक्त निजी सचिव	03	02	01	—
12.	संस्थापन अधिकारी	11	07	04	—
13.	प्रशासनिक अधिकारी	33	30	03	
14.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	88	54	34	—
15.	निजि सहायक प्रथम	05	02	03	—
16.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय	01	01	00	—
17.	कनिष्ठ लेखाकार	24	16	08	—
18.	वरिष्ठ विधि अधिकारी	01	01	00	—
19.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	01	01	00	—
20.	सांख्यिकी निरीक्षक	01	01	00	—
21.	निजी सहायक द्वितीय	08	08	00	—
22.	प्रोग्रामर	01	00	01	—
23.	सहायक प्रोग्रामर	05	05	00	—
24.	सूचना सहायक	34	16	18	—
25.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	188	88	100	—
26.	वरिष्ठ सहायक	265	99	166	—
27.	कनिष्ठ सहायक	539	496	43	—
28.	ड्राईवर	01	01	00	—
29.	जमादार	31	10	21	—
30.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	821	117	704	—
31.	**योग**	**2985**	**1589**	**1396**	**—**

3 अभियोजन निदेशालय का संगठनात्मक ढ़ांचा

↓

1.	निदेशक अभियोजन (विभागाध्यक्ष)
2.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन,न्याय/अभियोजन(मुख्यालय स्तर पर)
3.	संयुक्त निदेशक अभियोजन(सतर्कता)
4.	उप निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
5.	सहायक निदेशक अभियोजन (मुख्यालय)
6.	वरिष्ठ विधि अधिकारी
7.	सहायक लेखाधिकारी प्रथम
8.	निजी सचिव
9.	अतिरिक्त निजी सचिव/निजी सहायक प्रथम/ निजी सहायक द्वितीय
10.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी/ सांख्यिकी निरीक्षक
11.	सहायक लेखाधिकारी द्वितीय/ कनिष्ठ लेखाकार
12.	संस्थापन अधिकारी/प्रशासनिक अधिकारी एवं मंत्रालयिक कर्मचारी
13.	प्रोग्रामर/सूचना सहायक
14.	जमादार/च.श्रे. कर्मचारी

4. **विभागीय प्रमुख कार्य –** अभियोजन विभाग का मुख्य कार्य आपराधिक प्रकरणो मे पैरवी किया जाना है। इस संबंध मे पैरवी की व्यवस्था निम्नानुसार है :–

(I) न्यायिक मजिस्ट्रेट – राज्य के सभी न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अधीनस्थ अभियोजन सेवा के सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(II) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट– राज्य के सभी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालयों में राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन/अभियोजन अधिकारी द्वारा पैरवी की जाती है ।

(III) विशेष न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम – राज्य मे भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से संबंधित प्रकरणो की सुनवाई हेतु राज्य मे 18 न्यायालय सृजित है। इन न्यायालयो मे पैरवी हेतु राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 18 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(IV) अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम – राज्य मे अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम मे गठित विशेष न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 9 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(V) विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचार – राज्य मे गठित विशिष्ट न्यायालय महिला अत्याचारो मे से 2 न्यायालयो मे से राजस्थान अभियोजन सेवा के सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के 2 विशेष लोक अभियोजक पदस्थापित है ।

(VI) विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड – राज्य मे विशिष्ट न्यायालय प्रिन्टिंग स्टेशनरी , विशिष्ट न्यायालय जाली नोट प्रकरण, विशिष्ट न्यायालय साम्प्रदायिक दंगा एवं विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम काण्ड में सहायक निदेशक अभियोजन स्तर के अधिकारी विशिष्ट लोक अभियोजक के रुप में पैरवी कर रहे है।

5. आलौच्य वर्ष में प्रगति एवं उसकी विगत 3 वर्ष से तुलनाः—

राज्य क्षेत्र के समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में वर्ष अक्टूबर 2023 तक की अवधि में समस्त अभियोजन अधिकारियो द्वारा समस्त अपराध वर्गों के 908425 अपराध प्रकरणों में पैरवी कार्य किया गया। पैरवी किये गये उक्त प्रकरणों मे से 210174 (23.13 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 698251 (76.87 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें। समस्त अपराध वर्ग में दोष सिद्धि (85.75 प्रतिशत) रहा है।

उक्त कुल विचाराधीन अपराधिक प्रकरणों में भारतीय दण्ड संहिता के प्रकरणों की संख्या 595201 थी, जिनमे से 73327 (12.31 प्रतिशत) का निस्तारण हुआ तथा 521874 (87.69 प्रतिशत) प्रकरण लम्बित रहें, जिसमें दोष सिद्धी 54.12 प्रतिशत रही। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से संबंधित माह अक्टूबर 2023 तक 4082 अभियोग विचाराधीन रहें, जिनमें 338 प्रकरणों का निस्तारण हुआ तथा 3744 प्रकरण लम्बित रहें तथा दोष सिद्धी का प्रतिशत 39.4 प्रतिशत रहा है।

वर्ष अक्टूबर 2023 तक महिलाओ पर अत्याचार से संबंधित कुल 71704 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 10923 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 60781 प्रकरण विचाराधीन हैं। दोष सिद्वि 19.52 प्रतिशत रही।

वर्ष जून 2023 तक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुल 21631 प्रकरण विचाराधीन रहे, जिनमें 1139 प्रकरणों का निस्तारण कराया गया तथा 20492 प्रकरण विचाराधीन हैं। सजायबी 24.20 प्रतिशत रहा एवं निर्णय का प्रतिशत 5.27 रहा।

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में **अन्य अपराध वर्ग** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :–

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023 अक्टूबर तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	616819	693464	672751
2.	दायर	302071	317107	235674
3.	योग	918890	1010571	908425
4.	कमिट (–)	9311	9525	7637
5.	कुल विचाराधीन प्रकरण	909579	1001046	900788
अ.	दोषसिद्धि	138099	154043	107882
ब.	दोषमुक्ति	10137	17928	17928
स.	अन्य ढंग से	68879	156324	76787
6.	कुल निर्णित प्रकरण	216115	328295	202537
7.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	693464	672751	698251
8.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	93.16	89.57	85.75
9.	निर्णय का प्रतिशत	23.76	32.80	22.48

अधीनस्थ न्यायालयों में विगत् 3 वर्षों में **भारतीय दण्ड सहिता** अंतर्गत दर्ज/ निस्तारित आपराधिक प्रकरणों की तुलनात्मक समीक्षा :–

क्र.सं	विवरण	वर्ष 2021	वर्ष 2022	वर्ष 2023 अक्टूबर तक
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया प्रकरण	445597	497484	506510
2.	दायर	112187	116376	88691
3.	योग	557784	613860	595201
4.	कमिट (–)	9832	9109	7367
अ.	कुल विचाराधीन प्रकरण	547952	604751	587834
ब.	दोषसिद्धि	16370	21488	18249
स.	दोषमुक्ति	8906	15698	15473
द.	अन्य ढंग से	25192	61055	32238
5.	कुल निर्णित प्रकरण	50468	98241	65960
6.	वर्ष के अन्त में शेष प्रकरण	497484	506510	521874
7.	सजा का प्रतिशत (सजा+बरी प्रकरणों पर)	64.76	57.79	54.12
8.	निर्णय का प्रतिशत	9.21	16.24	11.22

6. **सार–संक्षेप (Excutive Summary):–**

1. राजस्थान में अधीनस्थ न्यायालयों में अभियोजन सफलता का प्रतिशत वर्ष जनवरी 2023 से अक्टूबर 2023 तक भा.द.सं. के अन्तर्गत 54.12 प्रतिशत तथा समस्त अपराध वर्ग में 85.76 रहा है।

2. **पदौन्नति –**

(अ) अभियोजन सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन	अतिरिक्त निदेशक अभियोजन की पदोन्नति कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
2.	उप निदेशक अभियोजन	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
3.	सहायक निदेशक अभियोजन	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
4.	अभियोजन अधिकारी	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।

(ब) मंत्रालयिक सेवा

क्र.सं.	पदनाम	विभागीय पदौन्नति की स्थिति
1.	निजी सचिव	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
2.	अतिरिक्त निजी सचिव	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।
3.	निजी सहायक ग्रेड–प्रथम	वर्ष 2015–16 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है। इसके पश्चात् शीघ्र लिपिक के पदों पर कोई कार्मिक निजी सहायक के पद हेतु पात्रता नही रखता है।
4.	संस्थापन अधिकारी	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
5.	प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
6.	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।
7.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।
8.	वरिष्ठ सहायक	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।
9.	कनिष्ठ सहायक	वर्ष 2023–24 की विभागीय पदौन्नति समिति की बैठक प्रक्रियाधीन है।

3 **भवनों के सम्बन्ध में:—**अभियोजन विभाग में भवनों के सम्बंध में सूचना निम्नानुसार है:—

(I) **वित्तीय वर्ष 2019—20**— के अन्तर्गत अभियोजन अधिकारी कार्यालय देवली, नाथद्वारा, भीम, देवगढ, कुम्भलगढ, खोखरिया मण्डोर, लखेरी, पदमपुर एव एडीपी कार्यालय सीकर के प्रथम तल हेतु कार्य स्वीकृत किये गये थे , जिनमें से **देवली, भीम, देवगढ़, कुम्भलगढ, खोखरिया मण्डोर, लाखेरी, पदमपुर एव एडीपी कार्यालय सीकर के प्रथम तल के भवनो का निर्माण पूर्ण होकर 8 भवनो का कब्जा प्राप्त कर लिया गया है** तथा शेष 01 भवनो का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(II) **वित्तीय वर्ष 2020—21**— के अन्तर्गत सहायक अभियोजन अधिकारी कार्यालय मेड़ता सिटी के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(III) **वित्तीय वर्ष 2021—22—** के अन्तर्गत जिला मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी एवं अभियोजन अधिकारी कार्यालय फागी, जयपुर देहात के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी है। सहायक निदेशक अभियोजन, बूंदी के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण होकर, कब्जा प्राप्त कर लिया गया है। अभियोजन कार्यालय फागी के कार्यालय हेतु भूमि विनिमय की कार्यवाही पूर्ण होकर, नई भूमि आवंटित हो चुकी है।

(IV) **वित्तीय वर्ष 2022—23—** के अन्तर्गत अभियोजन कार्यालय कुचामन सिटी (नागौर), दूनी(टोंक), ग्राम न्यायालय पींसागन(अजमेर), सराडा(उदयपुर), एवं जिला मुख्यालय कार्यालय सहायक निदेशक अभियोजन, प्रतापगढ के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। उक्त में से अभियोजन कार्यालय कुचामन सिटी का निर्माण कार्य पूर्ण होकर कब्जा प्राप्त कर लिया। अभियोजन कार्यालय दूनी(टोंक) को आवंटित भूमि का भूमि—विनिमय कार्य किया जा रहा है। शेष भवनों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

(V) **वित्तीय वर्ष 2023—24** के अन्तर्गत अभियोजन कार्यालय सादुलशहर (श्रीगंगानगर) ब्यावर(अजमेर), उप निदेशक अभियोजन, नागौर के प्रथमतल पर कार्यालय विस्तार, बुहाना(झुंझुनू), चौमहला(झालावाड) के भवन निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई। उक्त कार्यालयों के भवन निर्माण के सम्बंध में कार्यवाही प्रकियाधीन है।

4 **नियुक्ति:—** वर्ष 2023 माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 31.10.2022 की पालना में 09 अभ्यार्थियों को सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की गई। वर्ष 2023 में 05 पदों पर मृतक आश्रित व 15 पदो पर मेवाड भील कोर, बांसवाडा व 03 पदों पर आर.ए.सी, बीकानेर के कानिष्टबल से कनिष्ठ सहायक पद पर एवं 04 मृतक आश्रित को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर नियुक्ति दी गई है।

5 **पद सृजन—** विभाग द्वारा वर्ष 2023 में अभियोजन सेवा के कैडर स्ट्रैथं का पुनर्गठन हो चुका है। जिसके क्रम में विभाग में वर्तमान में संयुक्त निदेशक अभियोजन—13(नवसृजित), उप निदेशक अभियोजन—39, सहायक निदेशक अभियोजन—109 पद स्वीकृत है। राजस्थान अभियोजन सेवा (संशोधन)नियम 2023 द्वारा अतिरिक्त निदेशक के पद का पे—लेवल एल—20 से एल—21 किया गया। वित्त विभाग के आदेश दिनांक 10.07.2023 द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के पद को राजपत्रित किया गया। उक्त के अतिरिक्त वर्ष 2023 में 20 पद सहायक अभियोजन अधिकारी, 20 पद कनिष्ठ सहायक, 20 पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सृजित किये गये।

6 **बजट –** अभियोजन विभाग से संबंधित बजट मद 2014–00–114–02–01 (State Fund) में वर्ष 2023–24 में रू. 12750.97 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है जिसके विरुद्ध 18 दिसम्बर 2023 तक 9277.29 लाख रुपये का व्यय हो चुका है। अभियोजन विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों हेतु कार्यालय भवन के निर्माण के लिए बजट मद 4059–80–(051)–08–00–(17) (Plan) मे वित्तीय वर्ष 2023–24 में राशि रू. 164.52 लाख का प्रावधान किया गया है। जिसके विरूद्ध 18 दिसम्बर 2023 तक राशि रू. 116.93 लाख का व्यय हो चुका है।

7 **निरीक्षणः–** वर्ष 2023 में माह जनवरी 2023 से नवम्बर 2023 तक विभागीय अधिकारियो द्वारा निरीक्षण के 58.70 प्रतिशत निर्धारित लक्ष्यो को हासिल किया।

8 **E-prosecution Software:- भारत सरकार के गृह मंत्रालस के National Crime Records Bureau (NCRB) नई दिल्ली द्वारा Inter-Operable Criminal Justice System (ICJS) प्रोग्राम का क्रियान्वयन किया जा रहा है। ई–प्रोसीक्यूशन उक्त प्रोग्राम का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ई–प्रोसीक्यूशन कार्य हेतु राष्ट्र स्तर पर अभियोजन विभाग को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है।** माह जनवरी 2023 से 22 दिसम्बर 2023 तक राजस्थान में कुल 281376 केसो की प्रविष्टि की गई।

9 **भर्ती हेतु अर्थना** –

(i) विभाग में अभियोजन सेवा का कैडर रिव्यू दिनांक 29.09.2023 को हुआ। उक्त कैडर रिव्यू के पश्चात विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी के 191 पद रिक्त है, जिनमें 181 पदों की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को भिजवाया जाना प्रस्तावित है। शेष **10** पद (**05** पद लियन, 02 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन, **01** पद माननीय हाई कोर्ट जोधपुर के ओदश के क्रम में रिजर्व, **02** पदों पर नियुक्ति दावेदारी निरस्त होने के कारण,) रिजर्व रखें गये है।

(ii) कनिष्ठ सहायक के 23 पदों की अर्थना दिनांक 04.01.2023 को प्रशासनिक सुधार(अनुभाग–3) को भेजी गई है।

.....